(61)

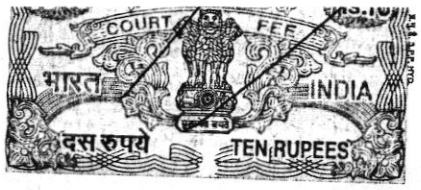

रा. रा. श्रीमान _ _ _ _ _ राजस्व मंडल ग्वालियर, बेन्च इन्दौर म0 प्र0

PBR/निगरानी/खरगोन/भू०रा/2017/4659

नजहत बी पति सरफुद्दीन हैदरी

निवासी 39, जवाहर मार्ग, गांधी चौक,

जोबट, जिला अलीराजपुर म.प्र. .. रिवीजनकर्ता/प्रार्थी

विरुद्ध

1. फरीदा बी पिता अमीनुद्दीन

पति कुतुबुद्दीन सैयद,

निवासी म.नं. 210, वार्ड नं. 13, पं. दीनदयाल

उपाध्याय वार्ड, जवाहर मार्ग, जोबट,

जिला अलीराजपुर म.प्र. .. प्रतिप्रार्थी

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री आसिफ पुरीवाला
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 01-11-2017
को प्रस्तुत।
827
01-11-2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

॥ रिवीजन याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. संहिता ॥

रिवीजनकर्ता के द्वारा यह रिवीजन याचिका अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन म.प्र. के द्वारा अपील प्रकरण क्रं. 0028/2016-17 मे पारित आदेश दिनांक 17.10.17 से पीड़ित होकर प्रस्तुत की जा रही है जिसके माध्यम से अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रतिप्रार्थी का धारा 5 अवधि विधान का आवेदन 25 वर्षों पश्चात प्रस्तुत अपील मे स्वीकार किया गया है जिससे असंतुष्ट होकर निम्नानुसार याचिका प्रस्तुत है:-

॥ प्रकरण के तथ्य ॥

1. यह कि, प्रतिप्रार्थी फरीदा एवं रशिदा पिता अमीनुद्दीन के द्वारा एक [illegible] अनुविभागीय अधिकारी, मण्डलेश्वर जिला खरगोन म.प्र.

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/खरगोन/भूरा/17/4659 [नाजहत/फरीद]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मण्डेलश्वर जिला खरगोन के प्रकरण क्रमांक 28/अपील/2016-17 में पारित आदेश दि.17-10-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में आदेश दिनांक 24-2-1992 मृतक का नामान्तरण होकर अनावेदक एवं रशीदा तथा सरफुददीन का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया गया है जिसकी उन्हें प्रारंभ से ही पूर्ण जानकारी रही है तब ऐसी स्थिति में वे उक्त आदेश की जानकारी नहीं होने संबंधी आधार नहीं ले सकती है एवं न ही यह माना जा सकता है कि उन्हें उक्त आदेश की सूचना नही होने संबंधी आधार नहीं ले सकती है एवं न ही यह माना जा सकता है कि उन्हें उक्त आदेश की सूचना नहीं थी उसके बाबजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मानने में कि अनावेदकपक्ष को आदेश की जानकारी नहीं थी तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान संबंधी आवेदन स्वीकार किया है जो कि तथ्य एवं विधि की भूल है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। 4- अनावेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायहित में विलम्ब क्षमा करने का पारित अंतरिम आदेश विधिवत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख में तहसील न्यायालय की पंजी उपलब्ध नहीं हुई है उसके अभाव में सन्देह का लाभ अनावेदक को देते हुये उसकी अपील को समय सीमा में मानकर गुणदोष पर निराकरण करने का निर्णय लेने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश वैधानिक एवं न्यायसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। 6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मण्डेलश्वर जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दि.17-10-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	